संख्या-07/2019/1499/33-2-2019-79जी/2008

प्रेषक,

डॉ0 रमा शंकर मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2019

विषय :जिला पंचायतों के वाहन चालकों को पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया पंचायती राज अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1021/33-2-2019-79जी/2008, दिनांक 28-02-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला पंचायतों में कार्यरत वाहन चालकों को एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप मानदेय के उक्त प्रकरणों में जहाँ एक निश्चित अवधि के अपुनरीक्षित वेतन के समतुल्य भुगतान किया गया है, पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय के भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

"उक्त सुविधा उन्हीं वाहन चालकों को अनुमन्य होगी, जिन्होने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है। उक्त मानदेय 12 माह की सेवा के आधार पर भुगतान किया जाएगा तथा वर्ष के मध्य में सेवामुक्त होने वाले कर्मचारियों एवं वर्ष के दौरान किसी समय सेवा आरम्भ करने वाले कर्मचारियों को समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी।"

भवदीय,

डॉ0 रमा शंकर मौर्य
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:07/2019/1499(1)/33-2-2019-79जी/2008, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

3- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।